जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 20.03.2023

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई भैंस एवं अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग तथा वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 भैंस चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की गई भैंस व अवैध 02 चाकू बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 18.03.2023 की रात्रि को श्रीमती इन्द्रेश पत्नि सोहनबीर निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली की भैंस को अनुज पुत्र कैलाशचन्द्र, विकास पुत्र प्रेम निवासीगण मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा प्लॉट में से चोरी करने सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अनुज पुत्र कैलाशचन्द्र निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.विकाश पुत्र प्रेम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गई 01 भैंस।

2.अवैध 02 चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 132/23 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 132/23 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 1168/17 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 जितेन्द्र त्यागी थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.कां0 आशीष कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.कां0 राजीव कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वाछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर महिला से दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.01.2023 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत महिला के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता द्वारा थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नरेश पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम भैरगढ़ थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 55/2023 धारा 376, 504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री मनेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अंकुश गौदारा थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 20.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में वांछित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.समीर पुत्र वकील अहमद निवासी अब्दालनगर उर्फ बिन्ना माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.सादिक पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला आलखुर्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सादिक उपरोक्तः-

1.मु0अ0स0 465/2022 धारा 380,457,411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 483/22 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 20/23 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 रचित कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.का0 सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

<u>जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद के थानों द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 05 वांछित /वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 19/20.03.2023 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 05 वांछित /वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.अनुज पुत्र कैलाश निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.विकाश पुत्र प्रेम कश्यप निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.सोनू पुत्र मुकेश उर्फ फबूला निवासी मौहल्ला शिवपुरी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

4.समीर पुत्र वकील अहमद निवासी अब्दालनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.नीटू पुत्र राजबीर निवासी ग्राम हरसाना ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते अपहरण कर हत्या करने के मामले में 05 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय मु0नगर द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा एवं 130,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2007 में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत 05 अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र दिलेराम 2.इकबाल पुत्र मंजूरा 3.राजीव पुत्र त्रिलोक चन्द 4.सलीम पुत्र मुल्लाहकीम निवासीगण ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली 5.रवि पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाट निवासी कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा नाबालिग का अपहरण कर हत्या की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में मृतक के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 239/2007 धारा 364,302,201, 149 भादवि में थाना बाबरी पर पंजीकृत किया गया था। मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मु0नगर में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.03.2023 को माननीय न्यायालय ADJ-03 मु0नगर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए धारा 364 भादवि (अपहरण) में 10-10 वर्ष कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड, अदा न करने पर 02-02 माह अतिरिक्त कारावास, धारा 302/149 भादवि (हत्या करना) में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रूपये अर्थदंड, अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 201 भादवि में अभियुक्त रवि उपरोक्त को 05 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.अनुज पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
2.इकबाल पुत्र मंजूरा निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
3.राजीव पुत्र त्रिलोक चन्द निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
4.सलीम पुत्र मुल्लाहकीम निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
5.रवि पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाट निवासी कासमपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI